हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंचम सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 44

वीरवार, 14 फरवरी, 2019/25 माघ, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. शोकोद्गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय श्री कर्मदेव धर्माणी, पूर्व सदस्य - हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्गार व्यक्त किएः-

1. श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री राम लाल ठाकुर
4. श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री

माननीय अध्यक्ष ने स्वर्गीय श्री कर्म देव धर्माणी, पूर्व सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर अपने शोकोद्गार निम्न शब्दों में व्यक्त किए-

"सदन के नेता माननीय मुख्यमन्त्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इस माननीय सदन के पूर्व विधायक श्री कर्मदेव धर्माणी जी के असामयिक निधन पर जो शोकोद्गार प्रस्तुत किए हैं, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं । जैसा कि बताया गया, श्री कर्मदेव धर्माणी 67 वर्ष की आयु तक निरन्तर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय रह कर समाज सेवा करते हुए परलोक सिधार गए हैं। मुझे भी उनके साथ विधायक के नाते कार्य करने का अवसर मिला और वे मेरे साथ की सीट पर ही बैठते थे। वैसे बहुत सारे विषय

यहां आ गए हैं लेकिन एक विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो मुझे सदा स्मरण आता है। वह यह कि वे जब भी घुमारवीं की या बिलासपुर जिले की चर्चा करते थे तो सीर खड्ड की चर्चा अवश्य करते थे। जैसे कर्नल इन्द्र सिंह जी सीर खड्ड की चैनेलाइजेशन को लेकर बहुत चिन्तित रहते हैं, उससे भी कहीं अधिक वे चिन्ता करते थे। कई बार तो मैं उनको मज़ाक में कहता था कि सीर खड्ड आ गया। उनको चिन्ता थी कि सीर खड्ड की चैनेलाइजेशन कब होगी, कब किसानों को सीर खड्ड से पानी मिलेगा और भूमि का कटाव रुकेगा। अगर हम विधान सभा का रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो शायद किसी सत्र में धर्माणी जी ने सीर खड्ड का विषय न रखा हो, ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात अपने इलाके के विकास के प्रति उनकी संजीदगी एक इसी उदारण से प्रदर्शित होती है। यह भी सत्य है कि उनकी बीमारी लंबी रही। जिन दिनों वे बीमार थे, उन दिनों लगभग एक महीने मैं भी घुमारवीं में रहा। लोक सभा का उप-चुनाव था और मेरी ड्यूटी वहां पर थी। उसके बावजूद वे गंभीर अवस्था में भी जनसभा में व्यक्तिगत रूप से आए और जनसभा को चंद शब्दों में संबोधित किया। उसके बाद स्वस्थ होकर उन्होंने आगे का जीवन जीया।

मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा के कल्याण की कामना करता हूं। उनके परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करें, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। उनके परिवारजनों को आप सभी की ओर से संवेदनाएं प्रेषित कर दी जाएंगी।"

(**दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षणों के लिए मौन रखा गया।**)

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1388 तथा 1391 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1339 द्वारा श्री अशीष बुटेल (प्राधिकृत) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1390 द्वारा श्री जगत सिंह नेगी (प्राधिकृत) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1392 से 1428 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 381 से 395 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2016-17 एवं 2017-18; और

(ii) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18.

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य, लोक लेखा समिति** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 40वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 41वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 42वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति ने** समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का षष्टम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपःस्थापित किया तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

5. <u>विधायी कार्य</u>

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(I) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

(II) **श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा सूचना

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने सदन का ध्यान 11 फरवरी, 2019 के 'दैनिक जागरण' समाचार पत्र मैं छपे समाचार की और दिलाया जिसके अनुसार शिमला के आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) को हिमाचल से बाहर बदलने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि शिमला का यह आर्मी ट्रेनिंग कमांड हमारे वैभव, गौरव एवं इतिहास से जुड़ा हुआ

है जिसे अब अम्बाला ले जाने की चर्चा है। उन्होंने चाहा की सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे और इस संस्थान को यहाँ से बदले जाने के प्रयास को रोके।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई अधिकारिक सूचना नहीं है तथा उन्हें भी यह विषय गैर-सरकारी स्रोतों से ही ज्ञात हुआ है। उन्होंने विश्वास दिलाया की वह इस विषय को केन्द्र सरकार से उठाएंगे और ऐतिहासिक दृष्टि के इस महत्वपूर्ण संस्थान को शिमला में ही रखने के लिए प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को निम्नलिखित सूचना दी -

"मैं एक शुभ सूचना देना चाहूंगा। शिक्षा विभाग के लिए भी यह बधाई का विषय है। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हिमाचल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोगीनंद है जिसने अपनी पाठशाला से रेडियो स्टेशन शुरू किया है। जो पाठशाला वहां लगेगी उसे 14 बच्चे उस रेडियो स्टेशन से रन करेंगे और जो कुछ भी कक्षा में पढ़ाया जाएगा वह रेडियो स्टेशन के माध्यम से आज से बाहर जाना शुरू होगा। देश में इस प्रकार के कुल 6 रेडियो स्टेशन हैं। आज 'हैलो मोगीनंद' के नाम से समाचार पत्रों में बहुत अच्छे से यह ख़बर छपी है। मैं इस के लिए सभी को बधाई देता हूं।"

4. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

गत 8 फरवरी, 2019 को गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर श्री लखविन्द्र सिंह राणा, सदस्य द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर हुई चर्चा का बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने उत्तर दिया।

"यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा नीति पर विचार करें।"

संकल्प वापिस हुआ।

01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.05 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

02.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक डॉ॰ राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा। माननीय अध्यक्ष ने गैर-सरकारी सदस्य दिवस होने के कारण सदस्यों द्वारा दिए विषयों के महत्व के दृष्टिगत उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने से मना किया। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने के लिए वह समूचित समय देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस विधायक दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।

माननीय अध्यक्ष ने श्री जगत सिंह नेगी को अपना विषय रखने का आदेश दिया।

श्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पिछले कल जब माननीय मुख्य मंत्री बजट पर बोल रहे थे तो इन्होंने कहा पूर्व कांग्रेस सरकार ने दुगुना कर्ज़ लेकर अय्याशी की है। यह शब्द असंसदीय है जिसे कार्यवाही से निकाला जाए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए चाहा कि यदि इस प्रकार का शब्द रिकॉर्ड में आया है, उसको कृपया मुझे मेरे चैंबर में प्रस्तुत करें। यदि वह असंसदीय होगा तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

(i) **श्री राकेश पठानिया, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा की:-

"The House may discuss Health Care Insurance Policy of Government of India and Government of Himachal Pradesh."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री होशयार सिंह
2. श्री जगत सिंह नेगी
3. श्री अरुण कुमार
4. श्री राम लाल ठाकुर
5. श्री सुरेश कुमार कश्यप
6. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
7. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
8. श्री सतपाल सिंह रायजादा

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(ii) **श्री सुखराम, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में नई पेयजल/सिंचाई योजनाओं को पानी लेने के लिए कई केंद्रीय एजेन्सियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की छूट प्रदान करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री राकेश पठानिया
2. श्री रमेश चंद ध्वाला
3. श्री होशयार सिंह
4. श्री अरुण कुमार
5. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकार हुआ।

<u>अध्यक्ष द्वारा घोषणा</u>

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की -

"माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष आग्रहपूर्वक सभी माननीय सदस्यों से कहा है कि आज उनकी ओर से सभी माननीय सदस्य रात्रिभोज पर आमंत्रित हैं। मैं इस बात का यह विशेष उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से कर रहा हूं।"

(iii) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि प्रदेश के बागवानों/किसानों को कमीशन एजेंटों व बाहरी राज्य से आए व्यापारियों की धोखाधड़ी से बचाने हेतु सरकार ठोस नीति बनाने पर विचार करें।"

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री (प्राधिकृत) ने चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने अश्वासन दिया कि उत्तर में कहे गए प्रस्तावित कानून को बनाते समय सदन के उन माननीय सदस्यों से भी सुझाव लिए जाएंगे जो विशेष रूप से बागवानी से जुड़े हैं।

संकल्प वापिस हुआ।

(IV) **कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कियाः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि आधुनिक युग में कम्प्यूटर के बढ़ते उपयोग व निजी विद्यालयों की तर्ज़ पर सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर से निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।"

(संकल्प पर चर्चा आगामी सत्र में गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर होगी।)

04.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।